भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3920

जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों के लिए पुनर्जीवन परियोजना

3920. श्री अनुराग शर्माः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुनर्जीवन परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तय की गई समय-सीमा क्या है और इसकी प्रगति को प्रभावी ढंग से मापने के लिए स्थापित किए जाने वाले प्रमुख मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जल निकायों को पुनर्जीवित करने से पहले कोई पर्यावरणीय आकलन किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संभावित पारिस्थितिकीय प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे जल संसाधन परियोजनाओं सहित जल निकायों का पुनरूद्धार अपनी प्रथमिकता और निधियों की उपलब्धता आदि के अनुसार शुरू करें। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार चिन्हित परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) की जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (पश्चिम बंगाल की आरआरआर) स्कीमों के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ऐसे ग्रामीण जल निकायों जहां दो (02) हेक्टेयर का न्यूनतम जल प्रसार क्षेत्र हो (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों के लिए 1 हेक्टेयर)

और ऐसे शहरी जल निकाय जहां एक (01) हेक्टेयर के न्यूनतम जल प्रसार क्षेत्र हो (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों के लिए 0.5 हेक्टेयर) वाले ग्रामीण जल निकाय इस योजना के तहत शामिल किए जाने के पात्र हैं।

इस पहल के प्रमुख माइलस्टोन में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, कृषि/बागवानी/मत्स्यपालन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, भूजल के पुनर्भरण में वृद्धि, जल उपयोग दक्षता में सुधार, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, बेहतर जल गुणवत्ता, खरपतवार वृद्धि को हटाना, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल हैं।

जनवरी 2022 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, "पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार" योजना के पूरा होने की समय अवधि धनराशि जारी किए जाने के प्रथम वर्ष को छोड़कर, पहली केंद्रीय सहायता जारी किए जाने के वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए दो वर्ष होगी। यदि अप्रत्याशित घटना के कारण परियोजना के पूरा होने में देरी हो रही है, तो अधिकतम एक वर्ष के लिए समय विस्तार दिया जा सकता है।

जल निकाय के पुनरूद्धार की आयोजना के चरण में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है जिसमें मूल कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए), प्रस्तावित मौजूदा कृषि योग्य कमान क्षेत्र और कृषि योग्य कमान क्षेत्र के ब्यौरे, मूल भंडारण क्षमता, नवीकरण के बाद प्रस्तावित भंडारण क्षमता और मौजूदा भंडारण क्षमता, जल निकाय और आसपास के क्षेत्रों के भूजल में जल गुणवत्ता की स्थिति और जल निकाय और भूजल की जल गुणवत्ता पर परियोजना के संभावित प्रभाव के ब्यौरे शामिल किए जाते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा किया जाता है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्य टीएसी और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन के बाद इस योजना को केन्द्रीय सहायता के लिए पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया जाता है।

*****